कार्यालय आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :शिविरा / माध्य / छाप्रोप्र / स–I / देव नारायण योजना / 2011–12 दिनांक : 19/8/2011

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (प्रथम / द्वितीय)

विषय :– देवनारायण छात्रा साईकिल वितरण योजना
प्रसंग :– एफ.1(4)शिक्षा–I / 2011 जयपुर दिनांक 01.08.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार ने प्रासंगिक पत्र द्वारा वर्ष 2011–12 में **देव नारायण छात्रा साईकिल वितरण योजना** लागू की गई जिसमें न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्रांक एफ.11(164) देव.यो. / गु.प्र.स. / विपै. / 2010–11 दिनांक 22.06.2011 द्वारा विशेष पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु 200करोड़ रूपये के विशेष पैकेज के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया है। इन योजनाओं में से व्यक्तिगत लाभ योजनाओं'' के अन्तर्गत एक **देवनारायण छात्रा साईकिल वितरण योजना** भी है।

सत्र 2011–12 में साईकिल योजना अन्तर्गत प्रत्येक छात्रा को 100रूपये का अंशदान प्राप्त कर निःशुल्क साईकिल देने का प्रावधान है, परन्तु अब **''देवनारायण छात्रा साईकिल वितरण योजना''** के अन्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग [1. बनजारा, बालदिया, लावाना। 2. गाडिया–लोहार, गाडोलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] की प्रत्येक छात्रा को 100रूपये का अंशदान देवनारायण योजना के बजट से पुर्नभरण किया जाना है। अतः विशेष पिछड़ा वर्ग की किसी भी छात्रा से 100रूपये का अंशदान नहीं लिया जाये। **देवनारायण छात्रा साईकिल वितरण योजना** का अनुमानित व्यय रू 0.05 करोड़ है।

उक्त योजना की कियान्विति हेतु आप द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययनरत कक्षा 9 एवं 10 की पात्र बालिकाओं के लिए जो मांग प्रस्तुत की गई है उसमें राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेश की पालना में उक्त विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के अंशदान का पुर्नभरण देवनारायण योजना के बजट से किया जाना है। अतः आप द्वारा भेजी गई साईकिलों की वास्तविक मांग में से उक्त जाति की छात्राओं को पृथक–पृथक वर्गीकृत कर निम्न प्रपत्र में प्रमाणिकरण सहित तीन दिवस में जरिये फैक्स से भिजवाना सुनिश्चित करें। क्योकि इसमें पूर्व में ही काफी विलम्ब हो चुका है। अब विलम्ब होने पर आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

प्रपत्र

क्र. सं.	जिला	वर्ग	कक्षा 9 में अध्ययनरत वास्तिविक पात्र छात्राओं की संख्या			कक्षा 10 में अध्ययनरत वास्तिविक पात्र छात्राओं की संख्या			कॉलम 6 व 9 का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			माध्यमिक	संस्कृत	योग	माध्यमिक	संस्कृत	योग	
		विशेष पिछड़ा वर्ग							
		अनु.जाति / जन जाति							
		अन्य छात्राऐं							

P.T.O

प्रमाण–पत्र

"प्रमाणित किया जाता है वर्ष 2011–12 के लिए ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को साईकिल वितरण योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के पत्र दिनांक 17.03.2011 में वर्णित शर्तों के अनुसार आवेदित पात्र छात्राओं के लिए ही साईकिल की मांग प्रस्तुत की जा रही है। अब कोई पात्र छात्राओं के प्रस्ताव शेष नहीं है।"

हस्ताक्षर जि.शि.अ.

भवदीय

(ओम प्रकाश सारस्वत)
प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त प्रपत्र में अपने संभागीय कार्यालयों से सूचना समेकित कर तीन दिवस के भीतर वास्तविक छात्राओं की संख्या अविलम्ब भिजवाने का श्रम करें।
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) को भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ जिलों को आज ही फैक्स/दुरभाष से निर्देशित कर सूचना भिजवाने हेतु पाबन्द करें।
3. अनुभाग अधिकारी पेंशन स्थिरीकरण/योजना/बजट अनुभाग कार्यालय हाजा।
4. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि उक्त निर्देश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर